न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —49/2018 (2018/00101)

अनवान : —

1. केसरीसिंह पुत्र नन्दलाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
2. ईशर सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
3. दलीप सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
4. ओम सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा।
5. रोहताश कंवर पत्नी भीमसिंह पुत्री नन्दलाल जाति राजपूत निवासी काजड़ा तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. मोहन कंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्री नन्दलाल सिंह जाति राजपूत निवासी ईक्तारपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. सुन्दर कंवर पत्नी नाहर सिंह पुत्री नन्दलाल जाति राजपूत निवासी काजड़ा तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. नारायण सिंह पुत्र श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी त0 भादरा।
9. जयपाल सिंह पुत्र श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोडी त0 भादरा।
10. करण सिंह पुत्र श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी त0 भादरा।
11. देवी सिंह पुत्र श्योराज सिंह जाति राजपूत निवासी सिकरोड़ी त0 भादरा।
12. कंचन कंवर पत्नी जसवीर सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीगंगानगर।
13. सुषमा राठौड़ पत्नी लखवीर सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीगंगानगर।

वादीगण

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत खाता विभाजन व घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 53—88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कृष्ण गर्ग वादीगण
श्री राजपैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 08/01/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:50 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] चक 6 बीएचडी के मु0न0 1 किला न0 3 ता 8, 14 ता 16, 25 मुरब्बा न0 2 के किला न0 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 22, मुरब्बा न0 7 के किला न0 1, 2 मुरब्बा न0 8 के किला न0 5 इस प्रकार कुल [illegible] हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी में वादी संख्या 1 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 8 ता 10 का संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा, वादी संख्या 11 देवी सिंह

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

का 0.744 है0, वादी संख्या 13 सुषमा राठौड़ का 0.506 है0 खातेदारी व चक 2 केआरपी के मुरब्बा न0 3 के किला न0 20 ता 22, मुरब्बा न0 4 के किला न0 1, 2, 8, 9, 12 ता 14, 16 ता 19, 22 ता 25 की कुल 3.074 हैक्टेयर नहरी मय खाला की मुश्तर्का खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 8 ता 10 का संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा, वादी संख्या 11 देवी सिंह की 0.361 है0, वादी संख्या 12 कंचन कंवर की 0.253 है0 खातेदारी दर्ज है। वादी संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क कर दिया है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है। इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब दावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया, चूंकि वाद भूमि के सभी खातेदारान दावा में वादीगण है तथा उन्होंने अपनी खातेदारी का विभाजन चाहा है। वादी संख्या 5 ता 7 वादी संख्या 1 ता 4 की सगी बहिने है, जिन्होंने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क किया है। इसलिए वाद भूमि में वादी संख्या 5 ता 7 का कोई हक व हिस्सा नही रहा है। वादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कुल भूमि के वादी संख्या 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद पत्र में वादीगण ने प्रतिवादी स्टेट के खिलाफ केवल खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। जिस पर वाद वादी दिनांक 24.02.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार भादरा को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार भादरा ने दिनांक 04.09.2020 को विभाजन प्रस्ताव मय रंगदार नक्शा पेश किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण में से किसी की भी तरफ से कोई आपत्ति पेश नही की गई। वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपने वाद पत्र को अन्तिम डिक्री करने का कथन किया।

अर्जीदावा प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक पर्चा डिक्री अनुपालना में तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पक्षकारानों की मौजूदगी में किया गया विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नही होना अंकित किया व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति है व विभाजन प्रस्ताव पर वादी संख्या 1 ता 11 स्वयं के पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है तथा वादी संख्या 12 सुषमा राठौड़ के पति के हस्ताक्षर है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्याय उचित है। अतः वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। वादीगण संख्या 1 ता 4 व 8 ता 13 के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी।

वादी संख्या 1 ता 4 केसरी सिंह, ईशर सिंह, दलीप सिंह, ओम सिंह – चक 6 बीएचडी के मु0 न0 8 के किला न0 5 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 2 के किला न0 21/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 22 की 0.253 है0 नहरी, किला न0 20/1 की 0.190 है0 नहरी, किला न0 19/1 की 0.217 है0 नहरी, किला न0 18/1 की 0.217 है0 नहरी कुल किता 8 की कुल 1.864 है0 जिसमें नहरी 1.839 है0 खाला 0.025 है0

वादी संख्या 8 नारायण सिंह – चक 6 बीएचडी के मु0 न0 2 के किला 18/2 की 0.036 है0, किला न0 19/2 की 0.036 है0, किला न0 20/3 की 0.038 है0, किला न0 11/1 की 0.228 है0, किला न0 12 की 0.253 है0, किला न0 13 की 0.253 है0, किला न0 10/1 की 0.228 है0, किला न0 9 की 0.253 है0, किला न0 1/1 की 0.228 है0 किला न0 2 की 0.178 है0 कुल किता 10 की कुल 1.731 हैक्टेयर नहरी तथा चक 2 केआरपी के मुरब्बा न0 3 के किला न0 21/2 की 0.083 है0, किला न0 22 की 0.051 है0 कुल किता 2 की कुल 0.134 हैक्टेयर नहरी।

वादी संख्या 9 जयपाल सिंह – चक 2 केआरपी के मु0 न0 3 के किला न0 20 की 0.026 है0, किला न0 21/1 की 0.106 है0, मुरब्बा न0 4 के किला न0 16 की 0.090 है0, किला न0 25 की 0.228 है0 नहरी खाला 0.025 है0 कुल किता 4 की कुल 0.475 हैक्टेयर नहरी 0.450 है0 खाला 0.025 है0 चक 6 बीएचडी के मु0 न0 2 के किला न0 1/2 की 0.025 है0, किला नम्बर 10/2 की 0.025 है0, किला न0 11 की 0.025 है0, किला न0 20/2 की 0.025 है0 किला न0 21/2 की 0.025 है0 मुरब्बा न0 1 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 प्रतयेक की 0.253 है0 कुल किता 10 की कुल 1.390 है0

वादी संख्या 10 करणी सिंह – चक 2 केआरपी के मु0 न0 4 के किला 24 की 0.228 है0 नहरी खाला 0.025 है0, किला न0 17 की 0.253 है0 किला न0 14 की 0.088 है0 किला न0 18 की 0.253 है0 किला न0 13 की 0.228 है0 किला न0 8/1 की 0.020 है0 किला न0 16 की 0.011 है0 कुल किता 7 की कुल 1.106 हैक्टेयर नहरी 1.081 है0 खाला 0.025 है0 व चक 6 बीएचडी के मुरब्बा न0 9 के किला न0 14 प्रत्येक 0.253 है0 कुल किता 3 की कुल 0.759 है0 नहरी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 11 देवी सिंह – चक 2 केआरपी के मु0 न0 के किला 1 की 0.139 है0 किला न0 2 की 0.013 है0 किला न0 8/2 की 0.05_ है0 किला न0 9 की 0.139 है0 किला न0 12, 19 प्रत्येक की 0.253 है0 किला न0 22 की 0.228 है0 नहरी 0.025 है0 खाला कुल किता 7 की कुल 1.106 है0 नहरी 1.081 खाला 0.025 है0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 49/18 अनुवान केसरी सिंह आदि बनाम स्टेट धारा 88–53 आरटीएक्ट

वादी संख्या 12 कंचन कंवर – चक 2 केआरपी के मुरब्बा न0 4 के किला न0 23 की 0.228 है0 नहरी 0.025 है0 खाला

वादी संख्या 13 सुषमा राठौड़ – चक 6 बीएचडी के मुरब्बा न0 1 के किला न0 3 व 8 प्रत्येक 0.253 है0 नहरी कुल किता 2 की कुल 0.506 है0 नहरी।

इसी अनुसार वादीगण संख्या 1 ता 4, 8 ता 13 के नाम खाता अलग अलग दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। वादी भूमि जो बैंक के रहन है उनके हिस्सा पर रहन नामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:50 IST
Reason: SelfAttested